न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 65/2019

अपीलान्ट्स

लूणसिंह गहलोत पुत्र स्व0 जवानराम, निवासी मालियों का बास, तेलियों की गली, (शिकारपुरा रोड़) ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

ओगड़राम पुत्र स्व0 जवानराम, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, शिकारपुरा रोड़, ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.06.2019 जो न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार लूणी, नारायणलाल सुथार (आर0टी0एस0) द्वारा रास्ता प्रकरण राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 06/2018 में पारित किया गया है, जिसमे माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0एक्ट0 1955, को अस्वीकार किया गया है।

————

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री जे0 गहलोत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रेम कुमार देवड़ा उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :–24.10.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.06.2019 जो न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार लूणी, नारायणलाल सुथार (आर0टी0एस0) द्वारा रास्ता प्रकरण राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 06/2018 में पारित किया गया है, जिसमे माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0एक्ट0 1955, को अस्वीकार किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में न्यायालय तहसीलदार लूणी को इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सगे भाई है, जिनकी पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं0 488, 508 मगरों वाली कोकड़, मौजा ग्राम सालावास लूणी में आई हुई है। जिसका दोनों भाइयों में अपसी सहमति से बंटवारा सन् 1977 में हो चुका था। इस बंटवारे के अनुसार खेत खसरा नं0 508 जो पूर्वी दिशा शिकरपुरा रोड़ पर चिपता है, रेस्पोडेन्ट के बंट में तथा खेत खसरा नं0 488 जो सड़क से दूर है, अपीलार्थी के हिस्से में आई। अपीलार्थी के खेत खसरा संख्या 488 का रास्ता परम्परा से पिताजी के जीवनकाल से भाई के शिकारपुरा सड़क के

समीप खेत खसरा संख्या 508 में से होकर गुजरता रहा है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का यह रास्ता खसरा नं0 508 के बीच में होकर भाई की ढाणी के पास उत्तर की ओर से गुजरता हुआ अपीलार्थी के खेत खसरा नं0 488 की पूर्वी माठ के दक्षिण कोने पर स्थित अपीलान्ट की गाढेर से जुड़ता है। जिसका अपीलान्ट पिछले 40 वर्षो से लगातार बिना रोक टोक अपने रास्ते के अधिकार के रूप में उपभोग करता आया है। अपीलार्थी के खेत खसरा संख्या 488 का कोई अन्य दिशा से रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते में रेस्पोडेन्ट ने रूकावट पैदा कर दी है जिससे अपीलार्थी का अपने खेत में आना–जाना बन्द हो गया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को विधिवत् नोटिस तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रेम कुमार देवड़ा ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 11.09.2019 को सुनी जाकर पत्रावली निर्णय हेतु रखी गयी।

अपीलान्ट अभिभाषक ने मौखिक बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट में आपसी सहमति से बंटवारा 1977 में हुआ था। अपीलान्ट द्वारा पिछले 40 वर्षों से खसरा नं0 508 में से होकर अपने खेत खसरा नं0 488 में आने जाने के लिये रास्ते का उपयोग करता रहा है लेकिन द्वेष की भावना से रेस्पोडेन्ट ने रास्ता बन्द कर दिया। जो पूर्ण रूप से गलत है। पटवारी की रिपोर्ट में उल्लेख है कि ''मौके पर ढाणी से आगे खसरा नम्बर 488 तक रास्ते के निशान नहीं पाये गये तथा इस खसरे के पश्चिम में से भी रास्ते के निशान नहीं पाये गये।'' यदि इस सम्पूर्ण रिपोर्ट को पूर्ण रूप से पढा जावे तो उक्त तथ्यों मे आपसी विरोधाभास है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट पक्ष के साक्ष्य व गवाहों की तुलना में अपीलार्थी के साक्ष्य व गवाहों के बयानों को अविश्वसनीय क्यों व किस आधार पर माना गया है। यह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर जो निर्णय किया गया है जो पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि मौका रिपोर्ट किसी प्रकरण का भाग हो सकता है, स्वयं निर्णय नहीं हो सकता। इसके लिये अपीलान्ट अभिभाषक ने निम्न नजीरे प्रस्तुत की है।

1. Site Inspection Report not a Substantive evidence
   Muradan v/s Ladu (89): 1972 RRD 198 (Board)
2. Site Inspection Report can not be used to collect evidence
   Toruram v/s Rameshwar (19): 1983 RRD 51 (Board)

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट पिछले 40 सालों से उक्त रास्ते का उपयोग करता आ रहा है लेकिन यह राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद नहीं है, यह जरूरी नहीं है। इसके लिये निम्न नजीर प्रस्तुत की है।

3. It is not necessary that the way should be shown in revenue record. (For Application of S-251 RT Act)
   Kanwaria v/s Narain (15):1982 RRD 38(Board)
   Hanuman Das v/s Janta Dhingpur (148):RRD 1354

इसके अलावा निम्न नजीरे प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध है जो निरस्त योग्य है।

4. S-251(1) RT Act, 1955 is meant to give immediate relief to peasantry Class.
   Bhopal Singh v/s Bhairu Singh (156) Board 1980 RRD 473
5. Failure of Tehsildar to conduct Summary enquiry as envisaged by S-251 RT Act, 1955 amount to failure to exercise jurisdiction.
   Ramswaroop v/s Sonpal: 1987 RRD 157(Board)
6. Dispute over a private way S-251 Fully applies.
   Hiralal & ors v/s Narain & Anr : 1988(1) WLN(Rev)359(Board)
7. Jurisdiction of gram panchayat, u/s 251 RTA, deleted after 14-04-2019
   Mohan Ram v/s Gyanaram 2018(1) RRT 118

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि अपीलान्ट लूणसिंह ने अपने खातेदारी के खसरा संख्या 488 की भूमि में जाने हेतु खसरा संख्या 508 में से जो रास्ता अवरूद्ध करना बताया है उस अवरूद्ध रास्ते का उसका किसी प्रकार का कोई नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं कि किस स्थान पर रेस्पोडेन्ट ओगड़राम ने रास्ता अवरूद्ध किया है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट लूणसिंह कभी भी खसरा संख्या 508 की भूमि में से होकर अपने खसरा संख्या 488 में नहीं जाता था बल्कि प्रार्थी लूणसिंह की खातेदारी का एक खसरा संख्या 487/4 था जिसमें से होकर प्रार्थी लूणसिंह आगे अपने खसरा संख्या 488 में जाता था लेकिन प्रार्थी लूणसिंह ने स्वयं की खातेदारी की खसरा संख्या 487/4 की सम्पूर्ण भूमि (पूराना कदीमी रास्ता सहित) बेचान कर दी एवं खरीददार का मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। इसलिये जब खरीददार ने पूरी रकम देकर उक्त भूमि क्रय की तो उसने ही अपीलान्ट का रास्ता बन्द कर दिया क्योंकि लूणसिंह ने रास्ते की भूमि का भी बेचान किया था।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट अपीलान्ट लूणसिंह की उपस्थिति में तैयार की जिस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि मौके पर ढाणी के आगे खसरा संख्या 488 तक रास्ते के निशान नहीं पाये गये। ऐसी अवस्था में जब खसरा संख्या 508 में से किसी प्रकार का रास्ता कभी भी अपीलान्ट के खसरा संख्या 488 की भूमि में जाने हेतु नहीं रहा हैं तो उसे अवरूद्ध किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अध्ययन किया और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सगे भाई है, जिनकी पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं0 488, 508 मगरों वाली कोकड़, मौजा ग्राम सालावास लूणी में आई हुई है। जिसका दोनों भाइयों में अपसी सहमति से

बंटवारा सन् 1977 में हो चुका था। इस बंटवारे के अनुसार खेत खसरा नं0 508 जो पूर्वी दिशा शिकारपुरा रोड़ पर चिपता है, रेस्पोडेन्ट के बंट में तथा खेत खसरा नं0 488 जो सड़क से दूर है, अपीलार्थी के हिस्से में आई। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.04.2018 के अनुसार खसरा नं0 508 में खातेदार ओगड़ाराम द्वारा बनाई गई ढाणी तक ग्रेवल डालकर सड़क बनाई गई है। मौके पर उपस्थित आधे व्यक्तियों ने खसरा नं0 488 में जाने हेतु खसरा नं0 508 में से होकर खसरा नं0 488 में जाना बताया जबकि आधे व्यक्तियों ने दूसरी ओर से जाना बताया है। मौके पर ढाणी के आगे खसरा नं0 488 तक रास्ते के निशान नहीं पाये गये। इस खसरे के पश्चिम में से भी रास्ते के निशान नहीं पाये गये। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार आधे गवाह व बयान अपीलान्ट के पक्ष में तथा आधे गवाह व बयान रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौके की वास्तविक रिपोर्ट तलब कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: